2019/00197

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **208**/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया SMECC, जीवन निधि, एल आई सी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स हिमंशी टैक्सटाईल्स एण्ड हैण्डीकाफ्ट
   85–सी, म्युनिसपल कालोनी, राजामल जी का तालाब, चांदी की टकसाल जयपुर ।
2. प्रोपराईटर श्रीमती ज्योति पत्नी श्री संजीव,
   64, नाला प्रताप नगर, कच्ची बस्ती, वार्ड नं॰ 15 शास्त्री नगर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–बैक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

निर्णय **दिनांक** 4.11.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 03.03.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में दुकान/मकान नम्बर 85–सी, म्युनिसपल कालोनी, राजामल जी का तालाब, चांदी की टकसाल जयपुर स्थित चल सम्पत्ति को हाईपोथीकेटेड कर कुल रूपये 5,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हैं। उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. अप्रार्थी ऋणी ने बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु अवसर चाहा है, किन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी को समय दिये जाने का प्रावधान नही है। प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.01.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। जिसकी अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया गया है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त

शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दुकान/मकान नम्बर 85—सी, म्युनिसपल कालोनी, राजामल जी का तालाब, चांदी की टकसाल जयपुर स्थित एवं हाईपोथीकेटेड चल सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 4.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)